रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01082023-247767
CG-DL-E-01082023-247767

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3301] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 1, 2023/श्रावण 10, 1945
No. 3301] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 1, 2023/SHRAVANA 10, 1945

वित्त मत्रांलय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2023

आयकर

का.आ. 3451(अ)— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(इसमें इसके बाद आयकर अधिनियम) की धारा 80ठक की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित धारा 197क की उप-धारा (1च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार यह विनिर्दिष्ट करती है कि किसी व्यक्ति द्वारा (इसमें इसके पश्चात 'पट्टाधारी' के रूप में संदर्भित) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की एक इकाई (इसमें इसके पश्चात 'पट्टाकर्ता' के रूप में संदर्भित) होने के कारण किसी व्यक्ति को जहाज के पट्टे के लिए पट्टा किराया या अनुपूरक पट्टा किराए की प्रकृति के भुगतान पर, जैसा भी मामला हो, आयकर अधिनियम की धारा 194-झ के अंतर्गत उससे निम्नलिखित के अध्यधीन आयकर की कोई कटौती नहीं की जाएगी-

(1) पट्टाकर्ता,-

(i) पट्टाधारी कोप्रपत्र सं. 1 में एक विवरण घोषणा प्रस्तुत करेगा कि दस क्रमिक निर्धारण-सह-वर्ष के लिए संगत पिछले वर्षो का ब्यौरा देते हुए पट्टाधारी को जिसके लिए आयकर अधिनियम की धारा 80ठक की उप-धारा (1क) और (2) के तहत पट्टाकर्ता छूट के लिए दावा करता है; और

(ii) ऐसा विवरण-सह-घोषणा दस क्रमिक निर्धारण वर्षों के लिए संगत प्रत्येक पूर्ववर्ती वर्ष के लिए प्रपत्र सं. 1 में, निर्धारित तरीके से प्रस्तुत और सत्यापित की जाएगी जिसके लिए आयकर अधिनियम की धारा 80ठक की उप-धारा (1क) और (2) के तहत पट्टाकर्ता छूट के लिए दावा करता है।

(ख) पट्टाधारी, -

(i) पट्टाकर्ता से प्रपत्र सं. 1 में विवरण-सह-घोषणा की प्रति की प्राप्ति की तारीख के बाद पट्टाकर्ता को किए गए भुगतान या जमा पर कर नहीं काटा जाएगा; और

(ii) आयकर अधिनियम की धारा200 की उप-धारा (3) के साथ पठित आयकर नियमावली, 1962 के नियम 31क में निर्दिष्ट कर कटौती की विवरणी में इस अधिसूचना के मद्देनजर पट्टाकर्ता को किए गए सभी भुगतानों का विवरण भी प्रस्तुत करेगा, जिस पर कर कटौती नहीं की गई है।

2. उपरोक्त छूट पट्टाकर्ता को केवल प्रपत्र सं. 1 में पट्टाकर्ता द्वारा यथा घोषित दस क्रमिक निर्धारण वर्षों के लिए संगत उक्त पिछले वर्षों के दौरान ही उपलब्ध होगी, जिसके लिए धारा 80ठक के तहत कटौती का विकल्प चुना जा रहा है। पट्टाधारी किसी अन्य वर्ष के लिए पट्टा किराया के भुगतान पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी होगा।

3. प्रधान महानिदेशक आयकर (प्रणाली) या महानिदेशक आयकर (प्रणाली), यथास्थिति डाटा को सुरक्षित रूप से ग्रहण और प्रसारित और दस्तावेजों को अपलोड करना सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं, प्ररूपों और मानकों को अधिकथित करेगा और प्रधान महानिदेशक आयकर (प्रणाली) या महानिदेशक आयकर (प्रणाली) उपयुक्त सुरक्षा अभिलेखीय एवं पुनर्प्राप्ति नीतियों को विकसित एवं कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ-

(क) "जहाज" का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (4च) के स्पष्टीकरण के खंड (ii) में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ख) "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (थ) में विनिर्दिष्ट किया गया है; और

(ग) "इकाई" का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (यग) में विनिर्दिष्ट किया गया है।

4. यह अधिसूचना1 सितंबर, 2023 से लागू होगी।

प्रपत्र सं. 1

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के किसी जहाज को पट्टाधारी को पट्टे पर देने के व्यवसाय में लगी हुई किसी इकाई द्वारा प्रस्तुत किया जाना है।

1. निर्धारिती का नाम:

2. स्थायी खाता संख्या:

3. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की इकाई का नाम और पता:

4. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 23 की उप-धारा (1) के खंड (क) अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के तहत अनुमति या पंजीकरण या कोई अन्य संगत कानून, जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80ठक की उप-धारा (1क) में उल्लिखित है, के तहत प्राप्त अनुमती की तारीख।

विवरण-सह-घोषणा

मैं ..... पुत्र/पुत्री....., ... की हैसियत से घोषणा करता/करती हूं कि उपर्युक्त इकाई जहाज के पट्टे के व्यवसाय में लगी हुई है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80ठक की उप-धारा (1क) और (2) के तहत कटौती के लिए पात्र है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि हमने पिछले वर्ष..... प्रासंगिक निर्धारण वर्ष ..... से पिछले वर्ष..... प्रासंगिक निर्धारण वर्ष ..... तक की अवधि के लिए उक्त कटौती का दावा किया है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि उपर्युक्त इकाई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में

काम करने वाली एक इकाई बनी हुई है और .....वर्ष (निर्धारण वर्ष ..... के लिए प्रासंगिक) के दौरान जिसमें यह ब्यौरा-सह-घोषणा प्रस्तुत की जा रही है, मुख्य रूप से जहाज को पट्टे पर देने के व्यवसाय में लगी हुई है ।

सत्यापन

मैं .....पुत्र/पुत्री....., ... की हैसियत से प्रमाणित करता/ करती हूं कि ऊपर दिए गए सभी विवरण सही और पूर्ण हैं।

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

(आयकर अधिनियम की धारा 140 में दी गई आय विवरणी को सत्यापित करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने हेतु)

[अधिसूचना सं. 57/2023/फा. सं. 275/19/2023-आईटी(बी)]

श्याम शर्मा, अवर सचिव